

Order Sheet [Contd]

II-156
C.J.

Case No. 14257 of 20.....

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
10-07-17	<p>राज्य द्वारा एडीपीओ।</p> <p>अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा हाजिरीमाफी आवेदन पेश, बाद विचार स्वीकार।</p> <p>प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है।</p> <p>परियादी उदयप्रताप समन की तामील बाद उपस्थित।</p> <p>परियादी ने उपस्थित होकर प्रकरण में राजीनामा की संभावना व्यक्त की। अतः उभयपक्षों ने राजीनामा की संभावना हेतु मीडिएशन में प्रकरण रैफर किए जाने का निवेदन किया है।</p> <p>उभयपक्षों के मध्य संबंधों एवं प्रकरण की विषय वस्तु को ध्यान में रखते हुये प्रकरण में मध्यस्थता के माध्यम से उभय पक्षों के मध्य विवाद का पूर्ण रूप से निराकरण होना संभव प्रतीत होता है। अतः न्याय दृष्टांत A fcons Infrastructure Limited Vs Cheriyan Varkey Construction Company private Limited (2010)8 SSC 24 में दिए गए निर्देश के अनुसार मध्यस्थता के लिए एक उपयुक्त प्रकरण है।</p> <p>उभयपक्षों से मध्यस्थता के संबंध में पूछे जाने पर उनके द्वारा प्रशिक्षित मध्यस्थ श्री मौहम्मद अजहर, एसजे गोहद का चुनाव किया है।</p> <p>अतः मध्यस्थता सम्प्रेषण आदेश उभय पक्षों व उनके अधिवक्ताओं के हस्ताक्षर कर मध्यस्थता हेतु उपरोक्त मध्यस्थ को भेजा जाये। उभय पक्ष आज दिनांक 10.07.17 को 12 बजे मध्यस्थ के समक्ष उपस्थित हों। मध्यस्थ को निर्देशित किया जाता है कि वे मध्यस्थता का परिणाम सफल/असफल जो भी हो दिनांक 20.07.17 तक सूचित करें।</p> <p>प्रकरण आगामी दिनांक 20.07.17 को मीडियेशन कार्यवाही के प्रतिवेदन की प्रस्तुती हेतु पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">(A.K.Gupta) Judicial Magistrate First Class Gondal District Bhind (M.P.)</p>	<p>उदय प्रताप सिंह</p> <p>उदय प्रताप सिंह</p> <p>Deed</p>

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	<p>पुनश्च:</p> <p>उभयपक्ष पूर्ववत्।</p> <p>प्रकरण मे मीडियेशन रिपोर्ट सफलता की टीप सहित प्रस्तुत।</p> <p>फरियादी उदयप्रताप की ओर से राजीनामा आवेदन पत्र, अतर्गत धारा 320-2, द0प्र0स0 एवं राजीनामा आवेदन फरियादी के हस्ताक्षर, मय छायाचित्र सहित प्रस्तुत किया गया।</p> <p>उभयपक्षों को सुना प्रकरण का अवलोकन किया।</p> <p>फरियादी की ओर से अभियुक्त से राजीनामा बिना किसी भय, दम, लोभ-लालच के पारस्परिक संबंधों को मधुर रखने के आशय से किया जाना प्रकट किया है। फरियादी संविदा समर्थ होकर अपनी स्वतंत्र सहमति देने में समर्थ दर्शित हैं।</p> <p>अभियुक्त पर भा0द0वि0 की धारा 379 के अधीन दण्डनीय अपराध का अभियोग है जो कि शमनीय है। पक्षकारों के मधुर संबंध रखने के आशय एवं सामाजिक शांति बनाये रखने के आपराधिक प्रशासन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुये राजीनामा अनुमति आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायोचित दर्शित होता है।</p> <p>अतः राजीनामा बाद तस्दीक मय आवेदन पत्र के स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त को धारा 379 भा0द0वि0 के अपराध आरोप से राजीनामा के आधार पर उपशमन की अनुमति प्रदान की जाती है जिसका प्रभाव अभियुक्त की दोषमुक्ति होगा। प्रकरण में आगामी दिनांक निरस्त की जाती है।</p> <p>प्रकरण में जब्त मोटरसाईकिल सुपुर्दगी पर है अतः सुपुर्दगीनामा अपील अवधि बाद बंधन मुक्त हो। अपील होने पर अपील न्यायालय के आदेश का पालन हो।</p> <p>प्रकरण का परिणाम सुसंगत अमिलेख में दर्ज कर प्रकरण अमिलेखागार में प्रेषित हो।</p> <p>(A.K.Gupta) Judicial Magistrate First Class Gohad district (M.P.)</p>	<p>उदयप्रताप</p> <p>Beel</p>